

मांग संख्या 21
मुख्य शीर्ष 6217

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100.00 लाख का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।